



राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

Email: registrar cuc@mp.gov.in

आजादी का
अमृत महोत्सव

क्र. 27770 / अका. / रा.श.श.वि. / 2024

दिनांक 03/04/2025

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन परिनियम 9.1 के प्रावधानानुसार कला संकाय का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

9-1 (ए) संकायाध्यक्ष	रिक्त
9-1 (बी) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल	रिक्त
9-1 (सी) आचार्य अध्ययनशाला	रिक्त
9-1 (डी) आचार्य महाविद्यालय	रिक्त
9-1 (ई) प्राचार्य	रिक्त
9-1 (एफ) दो उपाचार्य एवं छः व्याख्याता	रिक्त
9-1 (जी) विद्या परिषद के तीन सदस्य	रिक्त
9-1 (एच) दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	रिक्त

संकाय की सदस्यता, स्थिति यथावत रहने की दशा में दिनांक 1.5.25 को तीन वर्ष की होगी। इस अवधि के पूर्व सदस्य की स्थिति में परिवर्तन आने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

(डॉ. युवराज पाटिल)

कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्र. 27771 / अका. / रा.श.श.वि. / 2025

दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
2. माननीय कुलगुरु महोदय जी के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरु महोदय जी की ओर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
4. सहायक कुलसचिव लेखा/परीक्षा/गोपनीय/आई.टी. शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
5. संबंधित नरती।

(डॉ. जे.के. वाहने)

अकादमिक प्रभारी

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)



राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

Email: registrar.cuc@mp.gov.in

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्र. 27772 / अका. / रा.श.श.वि. / 2024

दिनांक 03/04/2025

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन परिनियम 9.1 के प्रावधानानुसार सामाजिक संकाय का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

9-1 (ए) संकायाध्यक्ष	रिक्त
9-1 (बी) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल	रिक्त
9-1 (सी) आचार्य अध्ययनशाला	रिक्त
9-1 (डी) आचार्य महाविद्यालय	रिक्त
9-1 (ई) प्राचार्य	रिक्त
9-1 (एफ) दो उपाचार्य एवं छः व्याख्याता	रिक्त
9-1 (जी) विद्या परिषद के तीन सदस्य	रिक्त
9-1 (एच) दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	रिक्त

संकाय की सदस्यता, स्थिति यथावत रहने की दशा में दिनांक 1/5/25 को तीन वर्ष की होगी। इस अवधि के पूर्व सदस्य की स्थिति में परिवर्तन आने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

(डॉ. युवराज पाटिल)

कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

दिनांक 03/04/2025

पृ. क्र. 27773 / अका. / रा.श.श.वि. / 2025

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
2. माननीय कुलगुरु महोदय जी के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरु महोदय जी की ओर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
4. सहायक कुलसचिव लेखा/परीक्षा/गोपनीय/आई.टी. शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
5. संबंधित नस्ती।

(डॉ. जे.के. वाहने)

अकादमिक प्रभारी

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)



राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

Email: registrar.cuc@mp.gov.in



आज़ादी का

अमृत महोत्सव

क्र. 27774 / अका. / रा.श.श.वि. / 2024

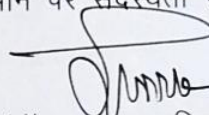
दिनांक 03/04/2025

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन परिनियम 9.1 के प्रावधानानुसार विज्ञान संकाय का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

9-1 (ए) संकायाध्यक्ष	रिक्त
9-1 (बी) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल	रिक्त
9-1 (सी) आचार्य अध्ययनशाला	रिक्त
9-1 (डी) आचार्य महाविद्यालय	रिक्त
9-1 (ई) प्राचार्य	रिक्त
9-1 (एफ) दो उपाचार्य एवं छः व्याख्याता	रिक्त
9-1 (जी) विद्या परिषद के तीन सदस्य	रिक्त
9-1 (एच) दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	रिक्त

संकाय की सदस्यता, स्थिति यथावत रहने की दशा में दिनांक 1/5/25 को तीन वर्ष की होगी। इस अवधि के पूर्व सदस्य की स्थिति में परिवर्तन आने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।


(डॉ. युवराज पाटिल) 03/04/25
कुलसचिव

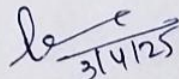
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्र. 27775 / अका. / रा.श.श.वि. / 2025

दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
2. माननीय कुलगुरु महोदय जी के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरु महोदय जी की ओर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
4. सहायक कुलसचिव लेखा/परीक्षा/गोपनीय/आई.टी. शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
5. संबंधित नस्ती।



(डॉ. जे.के. वाहने)

अकादमिक प्रभारी

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)



राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

Email: registrar.cuc@mp.gov.in

आजादी का
अमृत महोत्सव

क्र. 27776 / अका. / रा.श.श.वि. / 2024

दिनांक 03/04/2025

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन परिनियम 9.1 के प्रावधानानुसार जीव विज्ञान संकाय का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

9-1 (ए) संकायाध्यक्ष	रिक्त
9-1 (बी) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल	रिक्त
9-1 (सी) आचार्य अध्ययनशाला	रिक्त
9-1 (डी) आचार्य महाविद्यालय	रिक्त
9-1 (ई) प्राचार्य	रिक्त
9-1 (एफ) दो उपाचार्य एवं छः व्याख्याता	रिक्त
9-1 (जी) विद्या परिषद के तीन सदस्य	रिक्त
9-1 (एच) दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	रिक्त

संकाय की सदस्यता, स्थिति यथावत रहने की दशा में दिनांक 1/5/25 को तीन वर्ष की होगी। इस अवधि के पूर्व सदस्य की स्थिति में परिवर्तन आने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

(डॉ. युवराज पाटिल) 03/04/25

कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्र. 27777 / अका. / रा.श.श.वि. / 2025

दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
2. माननीय कुलगुरु महोदय जी के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरु महोदय जी की ओर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
4. सहायक कुलसचिव लेखा/परीक्षा/गोपनीय/आई.टी. शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
5. संबंधित नस्ती।

(डॉ. जे.के. वाहने)

अकादमिक प्रभारी

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)



राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

Email: registrar.cuc@mp.gov.in

आजादी का
अमृत महोत्सव

क्र. 27778 / अका. / रा.श.श.वि. / 2024

दिनांक 03/04/2025

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन परिनियम 9.1 के प्रावधानानुसार वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

9-1 (ए) संकायाध्यक्ष	रिक्त
9-1 (बी) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल	रिक्त
9-1 (सी) आचार्य अध्ययनशाला	रिक्त
9-1 (डी) आचार्य महाविद्यालय	रिक्त
9-1 (ई) प्राचार्य	रिक्त
9-1 (एफ) दो उपाचार्य एवं छः व्याख्याता	रिक्त
9-1 (जी) विद्या परिषद के तीन सदस्य	रिक्त
9-1 (एच) दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	रिक्त

संकाय की सदस्यता, स्थिति यथावत रहने की दशा में दिनांक 1/5/25 को तीन वर्ष की होगी। इस अवधि के पूर्व सदस्य की स्थिति में परिवर्तन आने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

(डॉ. युवराज पाटिल) 03/04/25
कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्र. 27779 / अका. / रा.श.श.वि. / 2025

दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
2. माननीय कुलगुरु महोदय जी के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरु महोदय जी की ओर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
4. सहायक कुलसचिव लेखा/परीक्षा/गोपनीय/आई.टी. शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
5. संबंधित नस्ती।

31/4/25

(डॉ. जे.के. वाहने)

अकादमिक प्रभारी

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)



राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

Email: registrar cuc@mp.gov.in

आजादी का
अमृत महोत्सव

क्र. 27780 / अका. / रा.श.श.वि. / 2024

दिनांक 03/04/2025

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन परिनियम 9.1 के प्रावधानानुसार विधि संकाय का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

9-1 (ए) संकायाध्यक्ष	रिक्त
9-1 (बी) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल	डॉ. बी.के. अकोदिया, शासकीय विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)
9-1 (सी) आचार्य अध्ययनशाला	रिक्त
9-1 (डी) आचार्य महाविद्यालय	रिक्त
9-1 (ई) प्राचार्य	रिक्त
9-1 (एफ) दो उपाचार्य एवं छः व्याख्याता	रिक्त
9-1 (जी) विद्या परिषद के तीन सदस्य	रिक्त
9-1 (एच) दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	रिक्त

संकाय की सदस्यता, स्थिति यथावत रहने की दशा में दिनांक 1/5/25 को तीन वर्ष की होगी। इस अवधि के पूर्व सदस्य की स्थिति में परिवर्तन आने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

(डॉ. युवराज पाटिल)

कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्र. 27781 / अका. / रा.श.श.वि. / 2025

दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
2. माननीय कुलगुरु महोदय जी के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरु महोदय जी की ओर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
4. सहायक कुलसचिव लेखा/परीक्षा/गोपनीय/आई.टी. शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
5. संबंधित नस्ती।

31/4/25

(डॉ. जे.के. वाहने)

अकादमिक प्रभारी

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)



राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.) 7/5

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

आजादी का

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

Email: registrar.cuc@mp.gov.in

अमृत महोत्सव

क्र. 27782 / अका. / रा.श.श.वि. / 2024

दिनांक 03/04/2025

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन परिनियम 9.1 के प्रावधानानुसार शिक्षा संकाय का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

9-1 (ए) संकायाध्यक्ष	रिक्त
9-1 (बी) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल	रिक्त
9-1 (सी) आचार्य अध्ययनशाला	रिक्त
9-1 (डी) आचार्य महाविद्यालय	रिक्त
9-1 (ई) प्राचार्य	रिक्त
9-1 (एफ) दो उपाचार्य एवं छः व्याख्याता	रिक्त
9-1 (जी) विद्या परिषद के तीन सदस्य	रिक्त
9-1 (एच) दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	रिक्त

संकाय की सदस्यता, स्थिति यथावत रहने की दशा में दिनांक 1/5/25 को तीन वर्ष की होगी। इस अवधि के पूर्व सदस्य की स्थिति में परिवर्तन आने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

(डॉ. युवराज पाटिल)

कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्र. 27783 / अका. / रा.श.श.वि. / 2025

दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
2. माननीय कुलगुरु महोदय जी के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरु महोदय जी की ओर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
4. सहायक कुलसचिव लेखा/परीक्षा/गोपनीय/आई.टी. शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
5. संबंधित नस्ती।

(डॉ. जे.के. वाहने)

अकादमिक प्रभारी

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)



राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

Email: registrar cuc@mp.gov.in

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्र. 27784 / अका. / रा.श.श.वि. / 2024

दिनांक 03/04/2025

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन परिनियम 9.1 के प्रावधानानुसार अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

9-1 (ए) संकायाध्यक्ष	रिक्त
9-1 (बी) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल	रिक्त
9-1 (सी) आचार्य अध्ययनशाला	रिक्त
9-1 (डी) आचार्य महाविद्यालय	रिक्त
9-1 (ई) प्राचार्य	रिक्त
9-1 (एफ) दो उपाचार्य एवं छः व्याख्याता	रिक्त
9-1 (जी) विद्या परिषद के तीन सदस्य	रिक्त
9-1 (एच) दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	रिक्त

संकाय की सदस्यता, स्थिति यथावत रहने की दशा में दिनांक से तीन वर्ष की होगी। इस अवधि के पूर्व सदस्य की स्थिति में परिवर्तन आने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

(डॉ. युवराज पाटिल)

कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्र. 27785 / अका. / रा.श.श.वि. / 2025

दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
2. माननीय कुलगुरु महोदय जी के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरु महोदय जी की ओर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
4. सहायक कुलसचिव लेखा/परीक्षा/गोपनीय/आई.टी. शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा।
5. संबंधित नस्ती।

(डॉ. जे.के. वाहने)

अकादमिक प्रभारी

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)